संख्या-1080/2026/164/22-2-2026-17(36)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राज कपूर पुत्र श्री गंगाराम वर्मा, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4745/प्रो(6)/260/(गणतंत्र दिवस-26), दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी राज कपूर पुत्र श्री गंगाराम वर्मा (दिनांक 26.01.2026 तक बन्दी की आयु 44 वर्ष 11 माह 10 दिन) लालदरवाजा रेतगंज, थाना-कोतवाली फर्रूखाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-28.03.2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी पारिवारिक रंजिश में अदालत से तारीख करके लौट रहे लोगो को धमकाते हुये गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-300343/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2/स्पेशल जज (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.12.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 26.01.2026 तक अपरिहार 02 वर्ष 02 दिन एवं सपरिहार 02 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा मात्र भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राज कपूर पुत्र श्री गंगाराम वर्मा की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राज कपूर (बन्दी संख्या-29439) पुत्र श्री गंगाराम वर्मा, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1080/2026/164 (1)/22-2-2026 तद्‌दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।